मैसर्स टेकुमसेह प्रोडक्टस इण्डिया लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हैदराबाद

5 मई, 2004

(राजेन्द्र बाबू सी.जे. और जी.पी. माथुर जे.)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944- उत्पाद शुल्क का अधिरोपण- सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करना- दोषपूर्ण कंप्रेसर की मरम्मत किए जाते समय स्टेटर को बदलना- कंपनी जॉब श्रमिकों से स्टेटर प्राप्त करती है और कम्प्रेसर में फिट करने के लिए उनके आकार देने, वार्निशिंग और बेकिग होने के पश्चात् स्टेटर प्राप्त करती है - कलेक्टर ने गतिविधि को निर्माण गतिविधि मानते हुए कर लगाने की कार्यवाही शुरू की। कंपनी ने यह दलील दी कि जॉब श्रमिकों से प्राप्त स्टेटर पूरी तरह से तकनीकी रूप से कार्यात्मक स्थिति में प्राप्त होते हैं, अतः जॉब श्रमिक स्टेटर के निर्माता हैं - अपील पर, निर्धारित किया गया - कंपनी द्वारा पृथक से की गई गतिविधियां कम्प्रेसर की मरम्मत में, उपयोग के उद्देश्य से तैयार करने के लिए स्टेटर को तैयार किया जाना, नए स्टेटर के निर्माण के संबंध में किए गए कार्य के समान था, इस प्रकार, विनिर्माण गतिविधि के रूप में माना जाकर कर के न्यायनिर्णयन के लिए की गई कार्यवाही

न्यायोचित है- इसके अलावा परिसीमा की अवधि विस्तारित करने का तर्क उचित नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कंप्रेशर्स की मरम्मत के उद्देश्य से उपयोग मे लाये जाने के लिए तैयार किए गए स्टेटर को विनिर्माण माना जाएगा। - धारा ११ ए

प्रारंभ में अपीलकर्ता दोषपूर्ण कंप्रेसर की मरम्मत करने के लिए अपने कारखाने में स्टेटर का निर्माण करते थे। इसके बाद, सर्विस सेंटर ने अपीलकर्ता से शुल्क के भुगतान पर स्टेटर बदलने के लिए आवश्यक सामग्री लेना शुरू कर दिया और इसे स्टेटर बनाने के लिए जॉब वर्कर्स को दे दिया। जॉब वर्कर से स्टेटर प्राप्त होने पर, अपीलकर्ता ने कंप्रेसर हाउसिंग में ऐसे स्टेटर को आकार देने, वार्निशिंग और बेकिंग का कार्य किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा की गई गतिविधि के परिणामस्वरूप निर्माण हुआ और कर के अधिरोपण के लिए कार्यवाही शुरू की गई। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि स्टेटर पूरी तरह से तकनीकी रूप से कार्यात्मक स्थिति में जॉब वर्कर्स से प्राप्त होते हैं, इसलिए जॉब वर्कर स्टेटर के निर्माता होते हैं और उन्होंने परिसीमा अवधि को विस्तारित किये जाने को भी चुनौती दी। निर्णायक प्राधिकारी ने माना कि जॉब श्रमिक स्टेटर के निर्माता हैं और सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जा सकता है। अपील पर अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना कि अपीलकर्ता स्टेटर्स के निर्माता हैं क्योंकि

उन्होंने स्टटेर्स के पकाने, आकार देने, वार्निश करने की प्रक्रिया शुरू की और उसके बाद ही विपणन योग्य सामान अस्तित्व में आए; ये गतिविधियाँ नए निर्माण के लिए की गई गतिविधियों के समान थीं; और परिसीमा की विस्तारित अवधि को रद्द किये जाने योग्य नहीं पाया। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुयी है।

अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया:

1. तत्कालिक मामले में, स्टेटर के संबंध में कई कदम उठाए गए थे, और ट्रिब्यूनल ने सही ढंग से निर्धारित कि अपीलकर्ताओं द्वारा अलग-अलग गतिविधियां की गईं वे जो नए स्टेटर के संबंध में की गई कार्यवाही के समान थी और इसलिए, कंप्रेसर की मरम्मत में उपयोग के उद्देश्य से तैयार किए जा रहे स्टेटर की गतिविधि विनिर्माण की ही एक गतिविधि है और ट्रिब्यूनल ने केवल ''स्टेटर'' के संबंध में ही मांग की पुष्टि की है।" (206-ए-बी) श्रीराम रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर। हैदराबाद, (1986) 26 ई.एल.टी. 353 और सीसीई, नई दिल्ली बनाम कर्ण इंडस्ट्रीज, (1992) 42 ईसीआर 522, तुलना की गई।

2. ट्रिब्यूनल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा (11ए) के तहत प्रदान की गई परिसीमा की विस्तारित अवधि को लागू करना

उचित नहीं था क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि कंप्रेशर्स की मरम्मत के उद्देश्य से उपयोग करने के लिए तैयार किए गए स्टेटर विनिर्माण गतिविधि के रूप मे माने जाने योग्य होंगे या नहीं। वास्तव में, अपीलकर्ता द्वारा स्टटेर्स पर की गई कई प्रक्रियाओं के विस्तृत विश्लेषण के पश्चात् ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि कम्प्रेसर की मरम्मत में उपयोग किए जाने वाले स्टेटर में विनिर्माण गतिविधि शामिल थी। इसलिए, जिस हद तक प्राधिकारीगण ने धारा IIA लागू की और दंडात्मक ब्याज और अन्य दंड लगाए, उसे अपास्त किया गया। और ट्रिब्यूनल के आदेश को उस सीमा तक संशोधित किया गया है। [206-सी-ई)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1477/1998

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय शाखा, मद्रास में एफ.ओ. क्रमांक 3003/97 में ए. क्रमांक ई.257/93 सी.ए. नंबर 1513 ऑफ 1998 के निर्णय और आदेश दिनांक 24.11.97 से।

अपीलकर्ता के लिए वी. लक्ष्मीकुमारन, आलोक यादव एवं वी. बालाचंद्रन।

रेस्पोंडेंट के लिए राजू रामचंद्रन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, संजीव सेन एवं सुश्री विभा दत्ता मखीजा।

न्यायालय का फैसला मुख्य न्यायाधिपति राजेंद्र बाबू द्वारा सुनाया गया।

इन अपीलों में हमारे विचार के लिए उठाया गया सवाल यह है कि क्या दोषपूर्ण कंप्रेसर की मरम्मत करते समय अपीलकर्ता द्वारा प्रतिस्थापित किए गए स्टेटर विनिर्माण गतिविधि की श्रेणी में आने के कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत उस पर विनिर्माण गतिविधि के रूप में शुल्क अधिरोपित किया जा सकता है।

मरम्मत की प्रक्रिया में अपीलकर्ता कुछ घटकों को स्क्रैप करता है, जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है और ऐसा ही एक घटक स्टेटर है। स्टेटर पहले कंप्रेसर की मरम्मत के लिए अपीलकर्ताओं के कारखाने में निर्मित किए गए थे। बाद में, स्क्रैप किए गए घटकों को बदलने के लिए आवश्यक सामग्री अपीलकर्ता के कारखाने से शुल्क के भुगतान पर प्राप्त की जाती थी। सेवा केंद्र इन सामग्रियों को स्टेटर बनाने के लिए बाहरी जॉब श्रमिकों को भेजता है। इसके बाद अपीलकर्ता ने ऐसे स्टेटर को कंप्रेसर हाउसिंग में फिट करने के लिए ऐसे स्टेटर को आकार देने, वार्निशिंग और उनके पकाने का काम किया जाता है। कलेक्टर ने महसूस किया कि जॉब श्रमिकों से स्टेटर प्राप्त करने पर अपीलकर्ता द्वारा की गई आकार देने, वार्निशिंग और बेकिंग की गतिविधि के परिणामस्वरूप विनिर्माण होता है और कर के अधिरोपण के लिए कार्यवाही शुरू की गई।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि जॉब वर्कर स्टेटर के निर्माता हैं न कि अपीलकर्ता, क्योंकि स्टेटर जॉब वर्कर से पूर्ण तकनीकी रूप से कार्यात्मक अवस्था में प्राप्त होते हैं। अपीलकर्ताओं द्वारा की गई गतिविधियाँ केवल स्टेटर का उपयोग करने के लिए हैं न कि स्टेटर का निर्माण करने के लिए। अपीलकर्ताओं ने परिसीमा अवधि की दीर्घता के दिए गए तर्क को भी चुनौती दी, जो केवल छल, आपसी गठबंधन या जानबूझकर बयान को दबाने या शुल्क के भुगतान के नियमों के उल्लंघन के मामले में ही अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध थी।

न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि जॉब वर्कर्स स्टेटर के निर्माता हैं, न कि अपीलकर्ता और विस्तारित परिसीमा अवधि लागू नहीं की जा सकती। अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील पर, यह माना गया कि अपीलकर्ता स्टेटर्स के निर्माता हैं, जॉब श्रमिक नहीं क्योंकि उन्होंने आकार देने, वार्निश करने और पकाने की प्रक्रिया अपनाई है और उसके बाद ही विपणन योग्य सामान अस्तित्व में आया और यह भी निर्धारित किया गया कि परिसीमा की विस्तारित अवधि को लागू किया जा सकता था। अतः यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

इस अपील से मिलते-जुलते. कुछ इसी तरह के प्रश्न श्रीराम रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, हैदराबाद, (1986) 26 ई.एल.टी. 353 और सीसीई, नई दिल्ली बनाम कर्ण

इंडस्ट्रीज, (1992) बी 42 ईसीआर 522 में मामले के विचार के लिए उठे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में श्रीराम रेफ्रिजरेशन मामले (सुप्रा) में दिए गए आदेश के खिलाफ दायर अपील को सिविल अपील में इस कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या 1029/1987 व सम्बंधित प्रकरणों में गुणावगुण पर खारिज कर दिया गया था। गुण-दोष के आधार पर इससे जुड़े हुए मामले मे भी, उस मामले में 'निर्माता' शब्द से भिन्न 'मरम्मत' के अर्थ को ट्रिब्यूनल द्वारा पूरी तरह से जांच की गई थी और इसलिए, यह विचार किया गया कि नियोजित मरम्मत की प्रक्रिया में मरम्मत संपरिवर्तन या रीमेक को विनिर्माण नहीं माना जाएगा। इसी तरह, 'कर्ण' के मामले में, ट्रिब्यूनल ने यह विचार किया कि प्राप्त दोषपूर्ण कम्प्रेसर की मरम्मत यदि आवश्यक पुर्जो को डालकर की जाती है जो खराब हो गए थे या स्क्रेप हो गए थे तो इसमें कोई विनिर्माण गतिविधि शामिल नहीं है।

यह स्पष्ट है कि ट्रिब्यूनल ने, हालांकि, अपील के तहत आदेश में यह विचार रखा कि हालांकि जॉब वर्कर्स ने स्टेटर की वाइंडिंग का काम किया, लेकिन ऐसा स्टेटर कंप्रेसर में उपयोग के लिए तैयार दशा में प्राप्त नहीं होता है और हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा आकार देने के लिए दबाव डालने की प्रक्रिया भी इस पर बाद में की जाती है। इससे पता चलता है कि स्टेटर को कंप्रेसर में सीधे ही फिट या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था। इसके अलावा,

अपीलकर्ताओं द्वारा वार्निशिंग की जानी थी और आवश्यक इन्सुलेशन प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक था और एक तैयार उत्पाद को अपीलकर्ताओ के द्वारा ही अंतिम रूप दिया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा की गई गतिविधि को विनिर्माण गतिविधि माना गया क्योंकि वे 'स्टेटर' को अस्तित्व में लाने के लिए प्रक्रियाओं की पूरी श्रृंखला को अंजाम दे रहे थे और उनके द्वारा की गई प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जो वे नए स्टेटर के निर्माण के लिए किए जाते हैं जो लेमिनेशन के नए ढेर से निर्मित किए गए थे।

'श्रीराम रेफ्रिजरेशन' या 'कर्ण इंडस्ट्रीज' में जिस स्थिति पर विचार और परीक्षण किया गया वह बिल्कुल अलग थी। वर्तमान मामले में, जिस तथ्य पर गौर किया गया और यह पाया गया कि स्टेटर के संबंध में पृथक प्रक्रिया अमल में लाई गयी है और जहां तक स्टेटर्स का सवाल है, ट्रिब्यूनल ने सही निर्धारित किया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा पृथक से गतिविधियाँ की गईं जो नए स्टेटर के संबंध में की गई गतिविधियों के समान थीं और इसलिए, कंप्रेसर की इस मरम्मत में उपयोग करने के उद्देश्य से स्टेटर को तैयार करने की सीमा तक इसे विनिर्माण की गतिविधि माना जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने केवल "स्टेटर्स" के संबंध में मांग की पुष्टि की है।

लेकिन, जहां तक धारा 11 ए के तहत प्रदान की गई परिसीमा की

विस्तारित अवधि के आवेदन का संबंध है, हमें नहीं लगता कि ट्रिब्यूनल न्यायसंगत है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि यदि किसी मशीनरी की मरम्मत के उद्देश्य से किसी हिस्से का उपयोग किया जाता है तो क्या यह विनिर्माण माना जाएगा। वास्तव में, ट्रिब्यूनल विस्तृत विश्लेषण के पश्चात् और अपीलकर्ता द्वारा अपनाई गई कई प्रक्रियाओं के विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कंप्रेशर्स की मरम्मत में उपयोग किए जाने वाले स्टेटर में विनिर्माण गतिविधि शामिल थी। यह परिस्थिति स्वयं दर्शाती है कि पक्षकारों के बीच इस सवाल को लेकर वास्तविक विवाद था कि कंप्रेशर्स के उपयोग के लिए तैयार किए गए स्टेटर्स में कोई विनिर्माण गतिविधि शामिल है या नहीं। इसलिए, जिस हद तक अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 11 ए लागू की है और उनके द्वारा लगाए गए दंडात्मक ब्याज और अन्य दंडों को भी अपास्त किया जाता है और ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया आदेश उस सीमा तक संशोधित माना जाएगा। तदनुसार, ये अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

अनुवादित द्वारा:

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनीश दाधीच (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।